न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा राज.
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—46/2013 प्रार्थना पत्र

अनवान

1—शंकरलाल पिता भूरा कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2—बंशीलाल पिता भूरा कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
3—कंचनदेवी पत्नी सुवालाल कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
4—लेहरूलाल पिता गोकल कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1—नेनू पिता लालू कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
2—सायरी पुत्री लालू पत्नी जोधा कुमावत निवासी पाटियाखेडा हाल निवासी रूपाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
3—गिरधारी पिता मियाराम कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
4—अम्बालाल पिता मियाराम कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
5—रघूनाथ पिता छगनलाल कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।
6—मांगी पुत्री छगनलाल कुमावत निवासी पाटियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
फारूख मोहम्मद— **अधिवक्ता प्रार्थीगण**
जाकिर हुसैन **अधिवक्ता विपक्षीगण**

निर्णय

दिनांक 01.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट थला मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पाटियाखेडा पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 332 रकबा 0.03 है0 गैमु0 आचा आराजी संख्या 326 रकबा 0.27 है0 आराजी संख्या 333 रकबा 0.25 है0 आराजी संख्या 715/314 रकबा 0.14 है0 आराजी संख्या 334 रकबा 0.27 है0 आराजी संख्या 164 रकबा 0.19 है0 आराजी संख्या 331 रकबा 0.43 है0 आराजी संख्या 716/314 रकबा 0.03 है आराजियात स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 तक मय नक्शा ट्रेस साथ संलग्न हें। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजियात में आवागमन प्रार्थीगण वर्षों से विपक्षीगण की आराजी संख्या 335, 336 व 337 की पूर्वी पाली पर होकर करते चले आ रहे है तथा इसी रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजियात में संज, बैल, पैदल आवागमन करते थे तथा अपनी आराजियात में फसल काश्त करते थे। विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को काटों की छडियां डालकर बन्द कर दिया तथा प्रार्थीगणको आवागमन के रास्ते को बन्द कर दिया है। जिसे खुलवाने के लिए प्रार्थीगण ने तहसीलदार साहब रायपुर को प्रार्थनापत्र पेश किया जिसमें पटवार हल्का थला द्वारा एवं तहसीलदार साहब रायपुर द्वारा मौका पर्चा कायम किया, जिसमें रास्ता होने के बारे में लिखा गया तथा आराजी संख्या 335, 336 व 337 में पगडण्डीनुमा रास्ता होने का अंकन किया। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में नहीं होने से तहसीलदार साहब द्वारा खुलासा नहीं किया गया तथा। श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बारे में निर्देशित किया। प्रार्थीगण की आराजियात में आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजियात में है इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थीगण की आराजियात के चारों तरफ से अन्य खातेदारों की आराजियात के मध्य स्थित है।

प्रार्थीगण विपक्षीगण की आराजियात में से होकर आवागमन करते थे। लेकिन विपक्षीगण ने कंटीली झाडियां डालकर अवरूद्ध कर दिया तथा प्रार्थीगण के रास्ते को बन्द कर दिया जिससें प्रार्थीगण अपनी आराजियात में आवागमन नहीं कर पा रहे हैं तथा न ही उक्त आराजियात में संज, बैल आदि ले जा पा रहे हैं। प्रार्थीगण की आराजियात में फसल काश्त नहीं हो पा रही है।जिससे प्रार्थीगण को नवीन रास्ता कायम कराने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पडा है। प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजियात में है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है। केवल राजस्व नक्शे में डोटेड लाइन से दर्शा रखा है जो सेटलमेंट से पूर्व का है। तथा इसी डोटेड लाइन के सहारे सहारे प्रार्थीगण आवागमन करते थे। विपक्षीगण की आराजियात में नवीन रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि जमा कराने को तैयार है। तथा विपक्षीगण की आरायिजात में से रास्ते की भूमि में से समायोजित होने वाली भूमि को रास्ते के रूप मे राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं। इस हेतु प्रार्थीगण ने यह प्रार्थनापत्र पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के समर्थन में मौका पर्चा एवं पूर्व में दी गई रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर के साथ संलग्न है। पटवार हल्का ने मौका पर्चा कायम किया जिसमें पटवार हल्का ने आराजी संख्या 337 रकबा 0.10 है0 में से 40 वर्गमीटर आराजी संख्या 336 रकबा 0.27 में 120 वर्गमीटर आराजी संख्या 335 रकबा 0.29 है0 में से 52 वर्गमीटर भूमि विपक्षीगण की आराजियात में से रास्ते में समायोजित होती है। तथा आराजी संख्या 337 रकबा 0.10 है0 भूमि मूख्य सडक से लगती हुई स्थित है। उक्त आराजियात में से पटवार हल्का द्वारा जारी किये गये मौके पर्चे के अनुसार रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि को प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त रास्ते को खुलासा करने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमवाजी का जबाव देते रहे जिससे विवश होकर प्रार्थीगण ने दिनांक 25.02.2013 को रास्ता खुलासा कराने बाबत् तहसीलदार रायपुर को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया लेकिन विपक्षीगण ने प्रार्थीगण की आराजियात में आवागमन के रास्ते को खुलासा नहीं किया जिससे विवश होकर प्रार्थीगण को यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना पडा।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 18.04.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या एक, दो, पांच, छः की ओर से अधिकार पत्र जाकिर हुसैन एडवोकेट का पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या तीन व चार बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षीगण के अधिवक्ता की ओर से जबाव पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में उभय पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत पेश किया। जिसकी प्रतिलिपि विपक्षीगण के अधिवक्ता को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गई। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थनापत्र में आराजी संख्या 336 व 337 की जगह लाल स्याही से आराजी संख्या 260, 334, 333 दर्ज किया जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगणों की ग्राम पाटियाखेडा में आराजी नम्बर 333, 334 पर आराजी नम्बर 335, 336, 337 से ही डोटेड लाइन दर्शा रखी है। परंतु रिकार्ड में रास्त दर्ज नहीं है। तथा मौके पर आराजी नम्बर 337 में विपक्षीगण का आवासीय मकान बना हुआ है। जहां से शुरू से ही रास्ता बन्द है। मौके पर आवासीय मकान होने से डोटेड लाइन वाला रास्ता बन्द है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा जो रास्ता नक्शे में प्रस्तावित किया गया है। वह आराजी नम्बर 260, 335, 334, एवं 333 जो कि सामलाती चाह है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम अलग अलग दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थीगण की आराजियात पर आराजी नम्बर 254 सरकारी रास्ते से विपक्षीगण की चाह आराजी नम्बर 264 के पास में होकर जाया जा रहा है। परंतु उसके पास पूर्वजों का चबूतरा होने से बैलगाडी ट्रेक्टर इत्यादि ले जाने में समस्या पैदा होती है। जिन जिन आराजियात में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। वह रास्ता चार मीटर की चौडाई में होकर आराजी नम्बर 260 में से रकबा 200 वर्गमीटर आराजी नम्बर 335 में से रकबा 200 वर्गमीटर आराजी नम्बर 334 में से रकबा 208 वर्गमीटर आराजी नम्बर 333 में से रकबा 120 वर्गमीटर बनता है। ग्राम के पास की डी.एल.सी. दर 153800/— रूपये प्रति बीघा है। के अनुसार 728 वर्गमीटर की 103625/— एक लाख तीन हजार छः

सौ पच्चीस रूपये बनती है जो राज कोष में जमा करायेगें। प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर अन्य कोई समुचित वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्तानुसार रास्ता दर्ज कराये जाने की अभिशंषा की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम पाटियाखेडा पटवार हल्का थला में विपक्षीगण की आराजियात में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। वह रास्ता चार मीटर की चौडाई में होकर आराजी नम्बर 260 में से रकबा 200 वर्गमीटर आराजी नम्बर 335 में से रकबा 200 वर्गमीटर आराजी नम्बर 334 में से रकबा 208 वर्गमीटर आराजी नम्बर 333 में से रकबा 120 वर्गमीटर बनता है। ग्राम के पास की डी.एल.सी. दर 153800/– रूपये प्रति बीघा है। के अनुसार 728 वर्गमीटर की 103625/– एक लाख तीन हजार छः सौ पच्चीस रूपये बनती है जो विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान किया जायेगा। प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर अन्य कोई समुचित वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्तानुसार रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम पाटियाखेडा पटवार हल्का थला में विपक्षीगण की आराजियात में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। वह रास्ता चार मीटर की चौडाई में होकर आराजी नम्बर 260 में से रकबा 200 वर्गमीटर आराजी नम्बर 335 में से रकबा 200 वर्गमीटर आराजी नम्बर 334 में से रकबा 208 वर्गमीटर आराजी नम्बर 333 में से रकबा 120 वर्गमीटर बनता है। ग्राम के पास की डी.एल.सी. दर 153800/– रूपये प्रति बीघा है। के अनुसार 728 वर्गमीटर की 103625/– एक लाख तीन हजार छः सौ पच्चीस रूपये बनती है जो विपक्षीगण को बतौर मुआवजा भुगतान किया जायेगा। प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर अन्य कोई समुचित वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्तानुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गेमु0 रास्ता दर्ज कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा